संख्या-151/2020/4058/71-1-2020-जी-89/2017

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 नवम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई- हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम के संचालन हेतु कार्मिकों के वेतन भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/1645, दिनॉक 02-11-2020 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों यथा आगरा, झॉसी, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा गोरखपुर एवं 02 संस्थानों यथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर में ई-हास्पिटल प्रणाली के सुचारू संचालन हेतु शासनादेश दिनॉक 30.03.2018 द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना की मूल लागत रू0 31,51,27,608.45 में एल-1 घोषित फर्म मै0 इन्सप्रा इन्टरप्राइजेज इण्डिया प्रा0 लि0, नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक मेडिकल कालेजों/संस्थानों में रखे गये 04-04 सर्विस इंजीनियर्स अर्थात् कुल 32 सर्विस इंजीनियर्स के 12 माह (दिनॉक 15.03.2020 से 14.03.2021) के वेतन भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर के क्रय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000/- में से रू0 77,71,006/- (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान किये जाने की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उपर्युक्तानुसार दी जाने वाली वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020 एवं 11.04.2020 तथा 29.09.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30.03.2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-15-राजकीय मेडिकल कालेजों में हास्पिटल मैनेजमेण्ट सिस्टम की स्थापना-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-151/2020/4058(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in